To Abolish the Provision of Retired Officer's/Official's

171: SHRI DHARAM PAL GONDER, MLA: Will the Chief Minister be pleased to state:-

a. the policy of the Government on the basis of which the retired officers/officials are being appointed on some posts in the State;

and

b. whether there is any proposal under consideration of the Government to abolish the said provision?

Sh. Manohar Lal, Chief Minister, Haryana

a. Re-employment is allowed by sub-para 2 of Rule 143 of Haryana Civil Services (General) Rules, 2016 for a maximum period of two years with the approval of Council of Ministers. However, for certain classes and categories of officer/official(s) in the departments involved in maintaining law & Order, Regulatory work, work of Administrative importance, infrastructure Development and Public Utilities, the re-employment is allowed for a period of two years, provided the committee constituted vide Notification No. 34/01/2004-4GS-I, dated 20.06.2018 allows the same.

b. No proposal is under consideration of the Government to abolish the said provision.

सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी के प्रावधान को समाप्त करना

171: श्री धर्मपाल गोंदर, एम.एल.ए: क्या मुख्यमंत्री कृप्या बताएंगे:–

क. सरकार की नीति जिसके आधार पर राज्य में कुछ पदों पर सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही है:

तथा

ख. क्या उक्त प्रावधान को निरस्त करने के लिए सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है?

श्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री हरियाणा

क. हरियाणा सिविल सेवाएं (सामान्य) नियम, 2016 के नियम 143 के उप–पैरा 2 के द्वारा पुनःनियोजन की अनुमति प्रदान की जाती है, जिसे मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के साथ अधिकतम 2 वर्ष के लिये नियत किया जाता है। हालांकि कानून और व्यवस्था, नियामक कार्य, प्रशासनिक महत्व का काम, बुनियादी ढांचा विकास और सार्वजनिक उपयोगिताओं को बनाए रखने वाले विभागों में कुछ वर्गों और श्रेणियों के अधिकारियों/कर्मचारियों के पुनःनियोजन की अनुमति तभी प्रदान की जाती है जब कार्य के लिए अधिसूचना क्रमांक 34/01/2018–4जी0एस01, दिनांक 20.06.2018 द्वारा गठित अधिकारी समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

ख. उक्त प्रावधान को निरस्त करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नही है।